यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** के माह **05/2019** से माह **12/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **11.01.2021** से **21.01.2021** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-I

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सन्तोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **27.05.2019** से **07.06.2019** तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **08/2016** से **04/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **05/2019** से **12/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम है जो उत्तराखण्ड राज्य की सभी पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज की आयोजना, प्रकल्प और निर्माण हेतु सम्पूर्ण राज्य में परिचालन करता है। साथ ही राज्य के भीतर या बाहर अन्य विभागों के डिपॉजिट कार्य कराने के लिए भी निर्माण अन्तर्गत एक निर्माण अभिकरण है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2018-19	1209.60	1646.76	25445.10	24796.83	1857.87	47837.28	42177.48	7306.57
2019-20	1857.87	7306.57	23046.90	23001.49	1903.28	53293.27	49218.58	11381.26
2020-21 (Upto 12/2020)	1903.28	11381.26	12528.02	13634.92	796.38	25024.31	23551.15	12854.42

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(` लाख में)

योजना का नाम	2018-19			2019-20			2020-21 (Upto 12/2020)		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
NRDWP	425.68	14387.20	11936.46	2876.42	13192.73	14757.82	1311.33	6944.38	8255.71
Niti Ayog	0.67	0.02	0.00	0.69	0.01	0.00	0.70	0.02	0.00
AMRUT	79.08	5.69	0.00	84.77	3.21	0.00	87.98	2.05	0.00

(i) उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम है जो उत्तराखण्ड राज्य की सभी पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज की आयोजना, प्रकल्प और निर्माण हेतु सम्पूर्ण राज्य में परिचालन करता है। साथ ही राज्य के भीतर या बाहर अन्य विभागों के डिपॉजिट कार्य कराने के लिए भी निर्माण अन्तर्गत एक निर्माण अभिकरण है। इकाई को बजट का आवंटन भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"अ"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष), उत्तराखण्ड शासन →प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून→ मुख्य अभियन्ता→अधीक्षण अभियन्ता→अधिशासी अभियन्ता।**

(ii) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में इकाई को भारत/राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि, इकाई द्वारा शाखाओं को अवमुक्त की गई धनराशि तथा मुख्यालय द्वारा व्यय की गई धनराशि से संबन्धित अभिलेखों की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **10/2020** एवं **02/2020 (व्यय)** तथा माह **11/2019** एवं **10/2020 (आय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की गई धनराशि के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग II-'अ'

प्रस्तर 1 : Liquidated Damage के रूप में वसूल की गई धनराशि पर जी.एस.टी. (GST) की वसूली न करने के कारण `20,94,285/- के राजस्व की हानि।

As per section 7(1)(d) of The Central Goods and Services Tax (CGST) Act, 2017, **GST is applicable on 'supply' of goods or services or both as referred to in Schedule II and is charged on the 'value of supply'**. Schedule II के नियम 6(a) के अनुसार Works Contract को supply of services की श्रेणी में रखा गया है।

Section 15(1) of the CGST Act defines **'value of taxable supply'** as the transaction value which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both where the supplier and the recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration for the supply.

In case of Liquidated Damages/Penalties, there is an act of Non-Performance / Breach and the same has been tolerated by an additional levy in the nature of Liquidated Damages/Penalties. There are two events, the first event calls for the payment of a contract price to the Contractor and the second event calls for the payment of liquidated damage/penalty to the owner. The income (though presented in the form of deduction) from payments to be made to the Party that Breached (Contractor) is the income of the Party that Suffered Damage (Principal / Owner) and would be a supply of 'service' in terms of schedule II para 5 clause (e) of the GST Act.

Therefore, GST @12% is applicable on Liquidated Damages as per Government of India Notification No. 20/2017-Central Tax (Rate) dated 22.08.2017. The party collecting Liquidated Damages shall raise the Invoice by Charging GST @ 12% with Heading 9954 (Construction Services).

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निगम द्वारा 04/2018 से 12/2020 के दौरान Liquidated Damages/Penalties के रूप में **`1,74,52,375/-** की वसूली की गई थी परन्तु GST Act के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार Liquidated Damages/Penalties के रूप में वसूल की गई धनराशि के ऊपर 12% GST की वसूली नहीं की गई जिसके कारण शासन/भारत सरकार को **`20,94,285/-** के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुए इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में GST की वसूली नहीं की गई थी। इकाई ने आगे बताया कि इस सम्बंध में यथाशीघ्र संबन्धित ठेकेदारों/फ़र्मों से GST की धनराशि **`20,94,285/-** की वसूली कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अतः जी.एस.टी. (GST) की वसूली न करने के कारण `20,94,285/- के राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'अ'

प्रस्तर-2) अर्जित ब्याज की धनराशि ₹ 692.99 लाख का अनियमित प्रतिधारण।

उत्तराखंड राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीन राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डबल्यू.एस.एम.)के माध्यम से केंद्र पोषित योजनाओं से संबन्धित धनराशि निगम की निर्माण इकाइयों/शाखाओं को विभाग के प्रधान कार्यालय के माध्यम से अवमुक्त की जाती है। उक्त अवमुक्त धनराशि पर विभिन्न इकाइयों/शाखाओं द्वारा ब्याज अर्जित किया जाता है। इस के अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर विभिन्न बैंक खातों में रखी धनराशि पर भी ब्याज अर्जित किया जाता है। उक्त अर्जित ब्याज की धनराशि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से वापस किए जाने का प्रावधान है।
उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सैक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत भी योजनाओं के सापेक्ष अर्जित ब्याज की धनराशि संबन्धित लेखाशीर्ष 0049 में जमा किए जाने का प्रावधान है।
प्रबन्ध निदेशक /विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहारादून (प्रधान कार्यालय) की लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) के दौरान अभिलेखों के अवलोकन में केन्द्रपोषित योजनाओं तथा राज्य सैक्टर कार्यक्रम से संबन्धित योजनाओं पर अर्जित ब्याज का विवरण निम्नवत पाया गया:

(₹ लाख में)

योजना	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	अर्जित ब्याज	कुल उपलब्ध	एस°डबल्यू°एस°एम° को प्रेषित/संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा ब्याज की राशि	अवशेष
केंद्र पोषित	2019-20	470.22	365.42	835.64	0	835.64
	2020-21	835.64	18.81	854.45	737.40	**117.05**
राज्य पोषित	2019-20	175.18	270.62	445.80	0	445.80
	2020-21	445.80	247.19	692.99	0	**692.99**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि केंद्र पोषित योजनाओं पर अर्जित ब्याज की धनराशि नियमित रूप से एस.डबल्यू.एस.एम. को प्रेषित नहीं गई थी तथा राज्य सैक्टर की योजनाओं पर अर्जित ब्याज की धनराशि संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा न कर अवरुद्द रखी गई थी।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि राज्य सैक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कृत कार्यवाही से संबन्धित कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही अभिलेखों में उक्त कार्यवाही से संबन्धित कोई वर्णन संज्ञान में आया।

अतः केंद्र पोषित योजनाओं पर अर्जित ब्याज की अनियमित व्यवहारिता तथा राज्य सैक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के सापेक्ष अर्जित ब्याज की धनराशि ₹692.99 लाख के अनियमित प्रतिधारण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-1) कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता के फलस्वरूप ₹203.61 करोड़ की योजनाएँ अपूर्ण व अनारम्भ।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की विभिन्न शाखाओं/इकाइयों द्वारा निष्पादित योजनाओं की तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं के पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन करने के साथ साथ पेयजल योजनाओं का निर्धारित समय में पूर्ण किए जाने को सुनिश्चित करना प्रधान कार्यालय का दायित्व है।

प्रबन्ध निदेशक /विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहारादून (प्रधान कार्यालय) की लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) के दौरान पेयजल निगम से संबन्धित विभिन्न इकाइयों/शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई योजनाओं की वित्तीय व भौतिक प्रगति से संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन में निम्नवर्णित अनियमितताएँ दृष्टिगत हुईं:

- अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी 2017 में ₹128.56 करोड़ हेतु स्वीकृत योजना के सापेक्ष ₹91.78 करोड़ केंद्रीय भंडार शाखा (पी.आई.यू अमृत), देहरादून को अवमुक्त किए गए थे । इकाई द्वारा लेखापरीक्षा संपादित किए जाने तक मात्र ₹75.63 करोड़ व्यय किए गए तथा स्वीकृति तिथि से चार वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बावजूद योजनान्तर्गत कार्य अपूर्ण थे।
- निर्माण शाखा, उधम सिंह नगर द्वारा निष्पादित 07 योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि पूर्ण रूप से अवमुक्त किए जाने के बावजूद संबन्धित इकाइयों द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गई थी।

इस प्रकार कुल स्वीकृत धनराशि ₹203.61 करोड़ के सापेक्ष इकाइयों को ₹126.73 करोड़ निर्गत किए जा चुके थे। वर्णित योजनाओं पर संबन्धित शाखाओं/इकाइयों द्वारा ₹104.91 करोड़ व्यय किए जा चुके थे तथा कार्य लेखापरीक्षा सम्पादन तक अपूर्ण/अनारम्भ थे ***(विवरण संलग्न)***।

इकाइयों द्वारा कार्य अवरुद्द रखने अथवा प्रारम्भ न किए जाने तथा प्रधान कार्यालय द्वारा इस विषय में कृत कार्यवाही के संबंध में पूछे जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि इकाइयों से सूचना प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रेषित की जाएगी।

विभागीय उत्तर से यह स्पष्ट है कि इकाइयों द्वारा कार्य अवरुद्द रखने अथवा कार्य प्रारम्भ न होने के संबंध में विभाग न केवल अनभिज्ञ है अपितु विभिन्न इकाइयों/शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई योजनाओं की वित्तीय व भौतिक प्रगति स्पष्ट होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः विभाग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहा जिस के फलस्वरूप रु 203.61 करोड़ की योजनाएँ स्वीकृति तिथि से 18 माह से 53 माह की अवधि तक अपूर्ण व अनारम्भ रहीं।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

Division	Scheme	Sanction date	Date of Start of Work	Sanctioned Cost	Total released	Total Exp.
Central Store Division,	Dehradun 23 Zone coverage water supply scheme	04/01/2017	04/01/2017	12856.00	9177.79	7562.75

अवरुद्द व अनारम्भ कार्यों का विवरण

Dehradun (PIU-AMRIT)	Construction of storm water drainage system at green park, chamanpuri, Dehradun.	10-07-2019	10-07-2019	25.87	1.00	0.37
PIU-AMRUT, Kashipur	Kashipur Water Supply Scheme, Zone V	05-03-2018	21-03-2018	1617.57	801.38	650.32
	Kashipur septage scheme phase-1	04-01-2017	25-10-2017	3750.30	1379.00	1194.71
	Kashipur Water Supply Scheme, Zone-III	23-05-2018	01-03-2019	1069.57	531.34	489.18
PIU-AMRUT, Haldwani	Haldwani-kathgodam sewerage Scheme (Part-1)	15-12-2016	30-06-2017	240.24	199.66	199.66
	Haldwani-kathgodam sewerage Scheme (Part-2)	26-05-2017	30-06-2017	106.23	41.60	41.55
	Haldwani-kathgodam sewerage Scheme (Part-5)	22-05-2018	15-09-2018	367.43	300.00	299.29
	Nainital branch sewerage scheme part-1	12-04-2018	17-05-2018	148.05	140.00	53.47
Doon Division, Dehradun	Tube well, pump house, rising main in Hari vihar and Vijay park at Dehradun	02-08-2016	02-08-2016	98.67	19.73	0
Construction Division, Udham Singh nagar	Installation of Hand Pump (09 Nos) in different places of Vidhan Sabha jaspur,khatima etc	22-12-2017	22-12-2017	6.98	6.98	0
	Installation of Hand Pumps in different places of Vidhan Sabha jaspur,khatima etc	22-12-2017	22-12-2017	8.52	8.52	0
	Installation of Hand Pumps (29 nos) in different places of Vidhan Sabha jaspur,khatima etc	22-12-2017	22-12-2017	14.72	14.72	0
	Installation of Hand Pump (27 Nos) in Rudrapur	12-07-2016	12-07-2016	20.93	20.93	0
	Installation of Hand Pump (23 Nos) in Rudrapur	12-07-2016	12-07-2016	17.83	17.83	0
	Installation of Hand Pump (01 Nos) in Nanakmata	13-03-2018	13-03-2018	0.78	0.78	0
	Installation of Hand Pump (15 Nos) in different places of Vidhan Sabha Nanakmata	13-03-2018	13-03-2018	11.63	11.63	0
Total				20361.32	12672.89	10491.30

<u>भाग दो 'ब'</u>

प्रस्तर-2) विस्तृत आगणनों में कार्य लागत का त्रुटिपूर्ण निर्धारण ।

भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 के तहत समस्त निर्माण कार्यों से निर्माण लागत का 01 प्रतिशत की दर से उपकर की वसूली का प्रावधान है जिस के क्रम में निर्माण कार्य की लागत का 01 प्रतिशत उपकर का

प्रावधान बजट/आगणन में किए जाने हेतु शासन द्वारा अगस्त 2014 में निर्देशित किया गया था।

लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल ऑफ रेट्स में वर्ष 2015-16 से तथा दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स 2018 के अंतर्गत कार्य मदों में 01 प्रतिशत की दर से उपकर जोड़ कर दर निर्धारित किए गए।

प्रबन्ध निदेशक /विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहारादून (प्रधान कार्यालय) की लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) के दौरान अभिलेखों के अवलोकन में संज्ञान में आया कि विभिन्न शाखाओं/इकाइयों द्वारा निर्माण कार्यों से संबन्धित विस्तृत आगणनों में निर्माण लागत (जिस में कार्य मदों की दरों में पहले से उपकर शामिल है) का 01 प्रतिशत की दर से उपकर दोबारा जोड़ कर अनुमोदित कराए गए।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए 'जल जीवन मिशन के अंतर्गत भरपूर ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना' से संबन्धित विस्तृत आगणन(आगणित लागत रु 4250.86 लाख) DSR 18 व SOR पर आधारित थी जिस में कार्य मदों की निर्धारित दरों में 01 प्रतिशत उपकर शामिल होने के बावजूद दोबारा से कुल कार्य लागत का 01 प्रतिशत उपकर जोड़ा गया था जिस का विवरण निमन्वत है:

(` In lakh)

Particulars		Total
Total Cost of works		
Scheduled Items	2385.14	
Non- Scheduled Items	1076.65	3461.79
Contingencies		87.07
GST		206.87
Labour Cess @ 1% on work cost		**33.64**
Total		3789.37
Centage		461.48
Grand Total		**4250.86**

उपरोक्त विवरण में प्रदर्शित कुल कार्य लागत 3461.79 लाख में गैर अनुसूचित मदें (Non Scheduled Items) रु 1076.65 लाख की धनराशि से संबन्धित थीं जिन की दरों में उपकर शामिल नहीं था। अतः गैर अनुसूचित मदों को छोड़ कर शेष कार्य लागत पर ` 22.87 लाख (33.64-10.77) उपकर की धनराशि विस्तृत आगणन में अतिरिक्त जोड़े गए थे। इस के अतिरिक्त ` 22.87 लाख पर 12.5 प्रतिशत सेंटेज ` 2.86 लाख जोड़ते हुए कुल कार्य लागत में ` 25.73 लाख के अतिरिक्त व त्रुटिपूर्ण निर्धारण पर तकनीकी स्वीकृति 05/01/2021 को मुख्य अभियंता (गढ़वाल) द्वारा प्रदान की गई थी।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वर्तमान तक प्राक्कलन की जांच नहीं की गई है। उत्तर में आगे बताया गया कि प्रधान कार्यालय स्तर पर शासन को टी.ए.सी. हेतु प्रेषित किए जाने वाले प्राक्कलनों में तकनीकी प्रस्तावों की उपयुक्तता की जांच का कार्य किया जाता है तथा वित्तीय प्रस्तावों की जांच शासन में गठित टी.ए.सी. सेल द्वारा की जाती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभिन्न शाखाओं/इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विस्तृत आगणनों की तकनीकी, वित्तीय व आर्थिक पहलुओं पर पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन करने का दायित्व प्रधान कार्यालय का है। वर्णित प्रकरण के संबंध में पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन करने के बाद की गई संस्तुति के आधार पर ही शासन स्तर से त्रुटिपूर्ण आगणनों के पुनर्गठन हेतु निर्देशित किया जा सकता था। इस के अतिरिक्त विगत दो वर्षों में DSR 18 अथवा PWD SOR 2016 पर आधारित 16 प्राक्कलन विभिन्न शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को उपलब्ध कराए जा चुके थे जिन की तकनीकी अथवा अन्य संगत पहलुओं की जांच से संबन्धित कोई भी टिप्पणी/अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।
अतः प्राक्कलनों के पुनर्विलोकन व मूल्यांकन में विभागीय शिथिलता के फलस्वरूप विस्तृत आगणनों में कार्य लागत के त्रुटिपूर्ण निर्धारण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग – II(ब)</u>

प्रस्तर-3 : रुपये 202.36 करोड़ के व्यय उपरान्त भी पेयजल सुविधा से लाभान्वित पूर्ण सेवित बस्तियों की संख्या में गिरावट होना।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम है जो उत्तराखण्ड राज्य की सभी पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज की आयोजना, प्रकल्प और निर्माण हेतु सम्पूर्ण राज्य में

परिचालन करता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु जारी कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका के अनुसार (भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की आई.एम.आई.एस. वैबसाइट के अनुसार) दिनाँक – 01.04.2017 को 40 एल.पी.सी.डी. की दर से उत्तराखण्ड राज्य के चार जिलों में पेयजल से पूर्ण रूप से सेवित बस्तियों की कुल संख्या – 6358[1] थी।

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्थान द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान उक्त चार जिलों में पेयजल की आपूर्ति हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रुपये 202.36[2] करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप उक्त जिलों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति में सुधार आना चाहिए था। परंतु लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया था कि उक्त चार जिलों में पेयजल निगम द्वारा पेयजल योजनाओं पर रुपये 202.36 करोड़ का व्यय किए जाने के उपरान्त भी पेयजल से पूर्ण रूप से सेवित बस्तियों की संख्या में भारी गिरावट (852 बस्तियाँ कम) आई थी जिसका तुलनात्मक विवरण तालिका-I में दिया गया है:

(तालिका –I)

क्रम सं.	**जनपद**	**पूर्णत: सेवित बस्तियों की संख्या**		**गिरावट (संख्या में)**
		2017	**2020**	
1	**चंपावत**	**1611**	**1531**	**80**
2	**देहरादून**	**1108**	**821**	**287**
3	**नैनीताल**	**2334**	**2268**	**66**
4	**उत्तरकाशी**	**1305**	**886**	**419**
	कुल	**6358**	**5506**	**852**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि IMIS पोर्टल पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में वार्षिक प्रविष्टि के अंतर्गत पोर्टल की डायरेक्ट्री में वास्तविकता के आधार पर डाटा अपडेशन यथा नई पंचायत/ ग्रामों का जोड़ना, पंचायत का नगरीय पंचायत में परिवर्तन उपरान्त हटाना, बस्तियों का ग्रामों तथा ग्रामों का पंचायतों में बदलना, बस्तियों का स्लिप्ड बैक एवं अन्य अपडेशन फलस्वरूप इंगित चार जनपदों में विगत वर्ष के डाटा के सापेक्ष वर्तमान डाटा में बढ़ोत्तरी/ गिरावट होना दर्शित है।

[1] चंपावत – 1611, देहरादून – 1108, नैनीताल – 2334 एवं उत्तरकाशी – 1305

[2]

जनपद	मद	वर्षवार व्यय धनराशि (रुपये लाख में)		
		2017-18	2018-19	2019-20
जनपद – चंपावत, देहरादून, नैनीताल एवं उत्तरकाशी	एनआरडीडबल्यूपी	1379.198	1613.137	3734.15
	नाबार्ड वित्त पोषित	1800.625	2582.201	2688.41
	राज्य सैक्टर (ग्रामीण)	570.118	336.221	514.385
	जिला योजना	1168.308	1479.025	747.409
	एससीपी	426.415	369.952	304.937
	टीएसपी	192.505	191.725	137.68
	कुल	5537.169	6572.261	8126.971

पेयजल निगम का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम का मुख्य कृत्य पेयजल आपूर्ति हेतु योजनाएँ तैयार करना, निर्माण तथा निष्पादन करना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उन्हे वित्त पोषित करना है। रुपये 202.36 करोड़ के व्यय उपरान्त भी उक्त चार जिलों में पूर्ण से वित बस्तियों की संख्या में गिरावट आना निगम द्वारा अपने उद्देश्य एवं कर्तव्यों के अनुपालन में विफलता को दर्शाता है।

अत: रुपये 202.36 करोड़ के व्यय उपरान्त भी पेयजल सुविधा से लाभान्वित पूर्ण सेवित बस्तियों की संख्या में गिरावट आने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>**भाग II-'ब'**</u>

प्रस्तर-4 : कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण निगम पर `147.51/- करोड़ की देयता का सृजित होना।

उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका, Volume-V, भाग-I के नियम 97 के अनुसार वेतन बिल जिस माह से संबन्धित हैं, उनका भुगतान अगले माह के प्रथम कार्य दिवस तक कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून की लेखापरीक्षा तथा निगम पर विभिन्न मदों के अन्तर्गत कर्मचारियों की बकाया धनराशि के सम्बंध में इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अवलोकन में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (जनवरी 2021) तक वेतन एवं अन्य भत्तों के रूप में निगम पर निम्नानुसार `**14,750.727 लाख** की देयता बनी हुई थी:-

क्र.सं.	**मद का नाम**	**विवरण**	**देय धनराशि (`लाख में)**
01.	वेतन	अक्टूबर/नवम्बर/दिसम्बर 2020	2380.752
02.	पेन्शन	अक्टूबर/नवम्बर/दिसम्बर 2020	1734.186
03.	नगदीकरण	माह दिसम्बर 2020 तक	1118.795
04.	ग्रेच्युटी	माह दिसम्बर 2020 तक	921.500
05.	ए.सी.पी.	कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्मिकों की धनराशि	130.854
06.	सातवें वेतनमान	कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्मिकों की धनराशि	679.237
07.	महंगाई भत्ता	कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्मिकों की धनराशि	121.642
08.	पेन्शन एरियर	सेवानिवृत्त कार्मिकों की धनराशि	85.682
09.	अन्य एरियर	कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्मिकों की धनराशि	249.801
10.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्मिकों की धनराशि	25.000
11.	बोनस	वर्ष 2019-20 की बकाया धनराशि	80.240
12.	राशिकरण	जनवरी 2017 से दिसम्बर 2020	7223.038
		कुल	**14750.727**

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है निगम में इस समय कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष केवल 37 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यरत हैं फिर भी निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन, भत्ते इत्यादि का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है जोकि निगम की कमजोर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। आगे जांच में पाया गया कि विगत दो वर्षों के दौरान निगम के निदेशक मण्डल की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी जिसके योजनाओं के क्रियान्वयन से संबन्धित निर्णय लेने तथा निगम की आय में वृद्धि किए जाने में भी निगम विफल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुए इकाई ने बताया कि निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु अधिक से अधिक कार्यों के सृजन हेतु प्रयास किया जा रहा है। इकाई ने आगे बताया कि देयता के भुगतान हेतु शासन से गैप मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की गई है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग – II(ब)</u>

प्रस्तर – 5: नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत रुपये 99.54 करोड़ अनुबंधित लागत के कार्यों का अपूर्ण रहना।

उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा ग्रामीण पेयजल योजना, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे योजनाओं के अंतर्गत नियोजन, विचरन, डिज़ाइन और निर्माण कार्य कराये जाते है।

एन.जी.बी.आर.ए. एवं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में गंगा नदी की मुख्य धारा पर अवस्थित 17 नगरो गंगोत्री, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, जोशीमठ, चमोली गोपेश्वर, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीकोट, श्रीनगर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, तपोवन, मुनि की रेती, स्वर्ग आश्रम, ऋषिकेश एवं हरिद्वार हेतु 32 नग योजनाओं कुल लागत रुपये 1032.42 करोड़ की स्वीकृति की गयी थी। विभाग द्वारा माह-02/2020 तक अद्यतन आँकड़ों के अनुसार उक्त 32 योजनाओं में से नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत 19 योजनाओं के विरुद्ध 13 योजनाओं के कार्य पूर्ण किए जा चुके थे तथा शेष 06 योजनाओं को नवम्बर-2020 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके अनुसार निम्नलिखित परियोजनाओं को उनके सम्मुख अंकित तिथि तक पूर्ण किया जाना था:

क्रम सं.	परियोजना	पूंजीगत अनुबंधित लागत (रुपये करोड़ में)	कार्य समाप्ति की तिथि (अनुबंध के अनुसार)	समयावृद्धि	वर्तमान स्थिति
1	ऋषिकेश नगर में आई. एंड डी. एवं 26 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण कार्य	72.43	30.11.2019	29.07.2020	आई. एंड डी. कार्य अपूर्ण
2	चमोली-गोपेश्वर नगर में आई. एंड डी. एवं एस.टी.पी. का निर्माण कार्य	27.11	19.02.2019	30.09.2020	आई. एंड डी. कार्य अपूर्ण

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि विभाग अपने लक्ष्यों को निर्धारित समयांतर्गत प्राप्त करने में विफल रहा था जिसके परिणामस्वरूप नमामि गंगे कार्यक्रम को उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान तक भी पूर्ण नहीं किया जा सका था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु समयावृद्धि प्रकरण[3] SPMG/NMCG के माध्यम से विश्व बैंक को प्रेषित किए गए है तथा देरी से निर्माण कार्य करने हेतु एक ठेकेदार[4] पर रुपये 52.55 लाख की क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर कार्यवाही की गयी थी। विभाग का उत्तर स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: विभाग द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत रुपये 99.54 करोड़ अनुबंधित लागत की परियोजनाओं को समयांतर्गत पूर्ण न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

[3] ऋषिकेश नगर में आई. एंड डी. एवं 26 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के निर्माण कार्य हेतु

[4] JV (JBM – CEIPL), Coimbatore, Tamil Nadu

<u>भाग- 2 (ब)</u>

प्रस्तर: (6) - अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा धनराशि ₹5,36,349 का कम अंशदान किया गया।

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII

(10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक: 01 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% (मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का) कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कार्यालय प्रबन्धक निदेशक उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहारादून में उक्त पेंशन योजना में कार्यरत कार्मिकों के एनपीएस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिकों के तो निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्धारित पूर्ण अंशदान (14%) मासिक रूप से कार्मिकों को नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर उन्हे पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को दिया जा रहा है। जिसकी वजह से कार्मिकों को प्रति माह 4% अंशदान कम मिल रहा है। अर्थात उन्हे नियोक्ता की तरफ से 4% मासिक अंशदान कम प्राप्त हो रहा है।

उक्त योजना में वर्तमान में कार्यालय में कुल इक्कीस कार्मिक कार्यरत थे। जिनको 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता द्वारा कम भुगतान किए गए अंशदान की धनराशि की गणना जब लेखपरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर की गई, तो पाया गया कि नियोक्ता द्वारा उक्त सभी कार्मिकों को 01 अप्रैल 2019 से वर्तमान तक (09/2020) **कुल धनराशि ₹5,36,349/- का कम भुगतान किया गया ।** (इक्कीस कार्मिकों के कम अंशदान का विवरण प्रस्तर के साथ संलग्न है, संलग्नक 1)

उक्त सभी कार्मिकों के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि उक्त से संबंधित कोई दिशा निर्देश मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुए। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा कम अंशदान की गई **धनराशि ₹5,36,349/-** लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या

43/2012-13	शून्य	01**,** 02	शून्य
49/2016-17	शून्य	01**,** 02	शून्य
12/2019-20	01	01, 02	01,02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
इकाई द्वारा विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करवाई गई है जिसके कारण विगत अनिस्तारित समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं

कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री भजन सिंह	प्रबन्ध निदेशक	19.12.2013 से 31.07.2020 तक
02.	श्री वी.सी. पुरोहित	प्रबन्ध निदेशक (प्रभारी)	31.07.2020 से 07.12.2020 तक
03.	श्री वी.सी. पुरोहित	प्रबन्ध निदेशक	07.12.2020 से 24.12.2020 तक
04.	डा. आर. राजेश कुमार	प्रबन्ध निदेशक	24.12.2020 से 15.01.2020 तक
05.	श्री एस. के. पंत	प्रबन्ध निदेशक (प्रभारी)	15.01.2021 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11, मोहिनी रोड, देहरादून** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/17 दिनांकित 02.02.2021 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248195** को प्रेषित कर दी जाये ।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (N-PSU)